न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्रीमति गीतादवी पुत्री भुबा जी पत्नि श्री मोहनलाल, जाति- कुम्हार, निवासी- अंरठवाडा, हाल निवासी- शिवगंज, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज

राजस्व अपील संख्या: 03/2019

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार पुरी, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 27 सितम्बर, 2019**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम अरठवाडा, पटवार हल्का अरठवाडा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3297 दिनांक 06.10.2018, 3298 दिनांक 06.10.2018, 3299 दिनांक 06.10.2018, 3300 दिनांक 06.10.2018 व 3301 दिनांक 06.10.2018 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ तहसील कार्यालय, शिवगंज की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरी ने अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम अरठवाडा, पटवार हल्का अरठवाडा के खसरा संख्या 495 रकबा 40.09 बीघा भूमि में प्रार्थी के पिता भुबाजी पुत्र थानाजी व उनके भाई हकमा, हिमता व प्रेमा उर्फ हरीया पुत्र थानाजी का 1/3 हक हिस्सा खातेदारी दर्ज था। खसरा संख्या 496 रकबा 18 बिस्वा भूमि में प्रार्थी के पिता भुबा व उनके भाई हकमा, हिमता व प्रेमा उर्फ हरीया पुत्र थानाजी का 1/2 हक हिस्सा खातेदारी का दर्ज था। खसरा संख्या 146, 356 व 447 रकबा क्रमश: 8.05 बीघा, 5.08 बीघा व 0.08 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 14.01 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी के पिता भुबाजी व उनके भाई हकमा, हिमता व प्रेमा उर्फ हरिया पुत्र थानाजी के नाम खातेदारी की दर्ज थी। खसरा संख्या 215 रकबा 7.06 बीघा कृषि भूमि में प्रार्थी के पिता भुबाजी व उनके भाईयों का 1/2 हक हिस्सा खातेदारी का दर्ज था एवं खसरा संख्या 588 व 589 रकबा क्रमश: 2.07 बीघा व 2.10 बीघा कृषि भूमि प्रार्थी के पिता भुबाजी व उनके भाई हकमा, हिमता व प्रेमा उर्फ हरीया पुत्र थानाजी के नाम खातेदारी की दर्ज थी। यह कि अपीलार्थी के पिता

.....पेज दो पर

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

भुबाजी पुत्र थानाजी की मृत्यु के बाद अपीलार्थी के पिता के भाई हकमा जी, प्रेमाराम उर्फ हरिया व हिमताजी ने अपीलार्थी के पिता भूबाजी पुत्र थाना जी के हक हिस्से की कृषि भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवा दिये। जबकि अपीलार्थी गीता जो कि भुबाजी की पुत्री है एवं भुबा जी की एक मात्र वैध उत्तराधिकारी जीवीत होते हुए भी अपीलार्थी के पिता भुबाजी पुत्र थानाजी के हक हिस्से की कृषि भूमि को अपीलार्थी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही करने के कारण अपीलार्थी ने अपीलार्थी के पिता के हक हिस्से की कृषि भूमि के संबंध में अपीलार्थी के पिता के भाईयों के पक्ष में तहसीलदार, शिवगंज द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1035 दिनांक 10.6.1992, 1036 दिनांक 10.6.1992 व 1037 दिनांक 10.6.1992 को निरस्त कराने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत इस न्यायालंय में अपील प्रस्तुत की गई थी। यह कि इस न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील संख्या 29/2015 में बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2017 के द्वारा अपीलार्थी की अपील को स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 1035, 1036 व 1037 दिनांक 10.6.1992 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के पिता मृतक खातेदार भुबाजी पुत्र थाना जी की अपीलार्थी वैध उत्तराधिकारी होने से विधि अनुसार पुन: नामान्तरकरण दर्ज करवाकर निर्णित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार, शिवगंज को प्रतिप्रेषित किया गया था। यह कि इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 20.12.2017 के द्वारा प्रकरण तहसीलदार, शिवगंज को विधि अनुसार पुन: नामान्तरकरण दर्ज कर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाने पर तहसीलदार, शिवगंज ने अपीलार्थी के पिता भुबाजी पुत्र थानाजी के विधिक उत्तराधिकारियों की जांच भू अभिलेख निरीक्षक, उथमण से करवाई। भू अभिलेख निरीक्षक, उथमण की जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट रुप से अंकित किया गया है कि ग्राम अरठवाडा के खसरा संख्या 146, 215, 356, 447, 495, 496, 588, 589 के सहखातेदार मृतक भुबा पुत्र थानाजी, जाति- कुम्हार, निवासी अरठवाडा की मृत्यु से करीब 3 माह बाद उसकी जीवित पत्नि जतीदेवी से पुत्री गीता का जन्म हुआ था व पुत्री गीता के जन्म से करीब एक वर्ष बाद मृतक भुबा की पत्नि जतीदेवी ने ग्राम जोणा, तहसील- सुमेरपुर, जिला- पाली में नाता कर कर लिया तथा आज भी वही है तथा मृतक भुबा के पुत्री गीता के अलावा कोई सन्तान नही है। भू अभिलेख निरीक्षक, उथमण की उक्त जांच रिपोर्ट से यह तथ्य स्पष्ट होते हुए भी की मृतक खातेदार की पत्नि ने पुत्री गीता के जन्म के एक वर्ष बाद ग्राम जाणा, तहसील- सुमेरपुर, जिला- पाली में अन्य व्यक्ति से नाता विवाह कर लेने से जतीदेवी भुबाजी की पत्नि नही रही है। मृतक खातेदार भुबा पुत्र थानाजी के अब एकमात्र वैध उत्तराधिकारी पुत्री गीता ही है, उसके बावजूद भी तहसीलदार, शिवगंज ने भुबाजी की पत्नि जतीदेवी होना बताते हुए जतीदेवी एवं अपीलार्थी गीता के नाम से नामान्तरकण संख्या 3297, 3298, 3299, 3300 व 3301 को हल्का पटवारी, अरठवाडा से दायर करवाकर इन नामान्तरकरणों को जतीदेवी पत्नि भुबाजी व गीता पुत्री भुबाजी के पक्ष में स्वीकृत किया गया है, जो विधि सम्मत नही है। अत: अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम अरठवाडा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3297, 3298, 3299, 3300 व 3301 दिनांक 06.10.2018 को निरस्त किया जाकर

.:..पेज तीन पर

न्यायालय अति० जिला कलक्टर सिरोही (राज०)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

तहसीलदार, शिवगंज को मृतक खातेदार भुबाजी पुत्र थानाजी की एकमात्र वैध उत्तराधिकारी पुत्री गीता के नाम से नामान्तरकरण दायर करवाकर स्वीकृत करने हेतु निर्देशित किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि तहसीलदार, शिवगंज ने मृतक खातेदार भुबाजी पुत्र थानाजी के विधिक उत्तराधिकारियों के संबंध में जांच करवाकर भुबाजी पुत्र थानाजी के उत्तराधिकारियों के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ तहसील कार्यालय, शिवगंज की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया गया कि ग्राम अरठवाडा, पटवार हल्का अरठवाडा के खसरा संख्या 495 रकबा 40.09 बीघा व खसरा संख्या 496 रकबा 18 बिस्वा भूमि के सह खातेदार भुबाजी पुत्र थाना जी कुम्हार, निवासी- अरठवाडा की मृत्यु के बाद मृतक खातेदार भुबाजी पुत्र थाना जी कुम्हार के हक हिस्से की भूमि के संबंध में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 1035 एवं खसरा संख्या 146, 356 व 447 रकबा क्रमश: 8.05 बीघा, 5.08 बीघा व 0.08 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 14.01 बीघा व खसरा संख्या 215 रकबा 7.06 बीघा भूमि के सह खातेदार भुबाजी पुत्र थाना जी कुम्हार, निवासी- अरठवाडा की मृत्यु के बाद मृतक खातेदार भुबाजी पुत्र थाना जी कुम्हार के हक हिस्से की भूमि के संबंध में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 1036 तथा खसरा संख्या 588 व 589 रकबा क्रमश: 2.07 बीघा व 2.10 बीघा कुल किता 2 रकबा 4.17 बीघा कृषि भूमि के सह खातेदार श्री भुबाजी पुत्र थाना जी कुम्हार, निवासी- अरठवाडा की मृत्यु के बाद मृतक खातेदार भुबाजी पुत्र थाना जी के हक हिस्से की भूमि के संबंध में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 1037 को हल्का पटवारी, अरठवाडा द्वारा मृतक खातेदार भुबा पुत्र थाना जी कुम्हार के भाईयों के पक्ष में दायर किये गये, जो तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 10.6.1992 को स्वीकृत किये गये। तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 10.6.1992 को स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण संख्या 1035, 1036 व 1037 को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थी गीता ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील इस न्यायलय में प्रस्तुत की गई। जो इस न्यायालय में राजस्व अपील संख्या 29/2015 पर दर्ज रजिस्टर होकर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2017 के द्वारा अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम अरठवाडा, पटवार हल्का अरठवाडा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1035 दिनांक 10.6.1992, 1036 दिनांक 10.6.1992 एवं 1037 दिनांक 10.6.1992 को निरस्त किया गया एवं प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार, शिवगंज को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक खातेदार भुबा जी पुत्र थाना जी, जाति- कुम्हार, निवासी- अरठवाडा के विधिक उत्तराधिरियों के संबंध में जांच करके पुन: विधि अनुसार नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने की कार्यवाही करे।

अधीनस्थ तहसील कार्यालय, शिवगंज की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 20.12.2017 की पालना में तहसीलदार, शिवगंज ने मृतक खातेदार भुबाजी पुत्र थाना जी, जाति- कुम्हार, निवासी-

....पेज चार पर

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

अरठवाडा के विधिक उत्तराधिकारियों की जांच भू अभिलेख निरीक्षक, उथमण से करवाई। प्रकरण में भू अभिलेख निरीक्षक, उथमण द्वारा तहसीलदार, शिवगंज को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट रुप से अंकित किया गया है कि मौजा अरठवाडा के खसरा संख्या 146, 215, 356, 447, 495, 496, 588, 589 के सह खातेदार मृतक भूबा पुत्र थानाजी, जाति- कुम्हार, निवासी- अरठवाडा की मृत्यु से करीब 3 माह बाद उसकी जीवित पत्नी जतीदेवी से पुत्री गीता का जन्म हुआ था। पुत्री गीता के जन्म से करीब एक वर्ष बाद मृतक भूबा की पत्नी जतीदेवी ने ग्राम जोंणा, तहसील- सुमेरपुर, जिला- पाली में नाता कर लिया तथा आज भी वहीं है। मृतक भूबा के पुत्री गीता के अलावा कोई सन्तान है। भू अभिलेख निरीक्षक, उथमण की उक्त जांच रिपोर्ट से यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त कृषि भूमि के सह खातेदार भुबाजी पुत्र थाना जी, जाति- कुम्हार, निवासी- अरठवाडा की मृत्यु के करीब एक वर्ष 3 माह बाद नाता विवाह किया है। जतीदेवी ने खातेदार भुबा जी पुत्र थाना जी कुम्हार, निवासी- अरठवाडा की मृत्यु से पूर्व नाता विवाह नही किया था अर्थात् खातेदार भुबा जी पुत्र थाना जी, जाति- कुम्हार, निवासी- अरठवाडा की मृत्यु के समय मृतक खातेदार की पत्नी जतीदेवी थी, जिसने अपने पति भुबा जी पुत्र थाना जी कुम्हार की मृत्यु के तीन बाद उनकी पुत्री गीता को जन्म दिया। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मृतक खातेदार भुबाजी पुत्र थाना जी, जाति- कुम्हार, निवासी- अरठवाडा की मृत्यु के समय मृतक भुबा जी की पत्नी जतीदेवी थी तथा जती देवी तत्समय मृतक खातेदार भुबाजी पुत्र थाना जी, जाति- कुम्हार, निवासी- अरठवाडा की पत्नि होने से मृतक खातेदार भुबाजी पुत्र थाना जी, जाति- कुम्हार, निवासी- अरठवाडा के हक हिस्से की कृषि भूमि में अपना नाम दर्ज करवाने की अधिकारी थी। ऐसी स्थिति में, तहसीलदार शिवगंज द्वारा मृतक खातेदार भुबा जी पुत्र थाना जी, जाति- कुम्हार, निवासी- अरठवाडा के हक हिस्से की कृषि भूमि के संबंध में जतीदेवी एवं गीता के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण विधि सम्मत है।

अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

27.9.2019

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2019.11.13 14:00:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: